न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
94 / प्रा0प0 / 2024	06.06.2024	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर०ए०एस०

कौशल्या देवी पत्नी भगवत सिंह उर्फ भगत सिंह जाति मीना निवासी चावोलिया की झौपड़िया तहसील रायथल जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थीया

—बनाम—

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार रायथल जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम
वास्ते किये जाने पत्थरगढ़ी आराजियात्

निर्णय

दिनांक—22.01.2025

उपस्थित— प्रार्थीया की ओर से एडवोकेट कविता कहार।
अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार।

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता सं० 23 खसरा नं0 185 रकवा 0.75 है० भूमि वाके गेण्डोलीखुर्द प०ह० गूंथा तहसील रायथल जिला—बून्दी, राज० में स्थित है। उक्त आराजीयात् की प्रार्थीया एकमात्र खातेदार हैं जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त हैं। प्रार्थीया अनुसूचित जन जाति की महिला हैं और प्रार्थीया की भूमि के अड़वे ही अन्य खातेदारान जो बहुवल एवं अपने लठ के जोर पर प्रार्थीया को डरा धमकाकर प्रार्थीया की भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मेड़, डोल को हंकाई कर नष्ट कर अपने खेतों में मिला लिया और प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि में हंकाई, बुआई व फसल काश्त करने में वेजा मजामत करते हैं। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में लगी मेड़, डोल एवं सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया गया हैं। इस कारण मौके पर विवाद वना रहता हैं एवं प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि में फसल काश्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। प्रार्थीया अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं जिससे पड़ौसी खातेदारान् से विवाद नहीं रहें और प्रार्थीया को हकाई बुआई करने में सुविधा हो सकें। प्रार्थीया पत्थरगढ़ी की राजकीय शुल्क जमा कराने को तैयार हैं। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि ग्राम गेण्डोलीखुर्द प०ह० गूंथा तहसील रायथल जिला बून्दी राज० में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। इत्यादित अंकित प्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया की आराजीयात् की विधिवत पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया एवं तहसीलदार, रायथल से प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट तलव की गई। तहसीलदार, रायथल द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2024 / 3388 दिनांक 26.09.2024 से अवगत कराया हैं कि ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपड़िया ऑनलाईन जमावंदी सम्वत् 2075—78 जमावंदी सम्वत् 2080 (वर्ष 2023) से स्थायी में खाता संख्या 21 में खसरा नंवर 185 रकवा 0.75 है0 में कौशल्या देवी पत्नी भगत सिंह जाति मीना सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। जिसमें प्रार्थीया खातेदार कौशल्या देवी पत्नी भगतसिंह का कब्जा—काश्त हैं, उक्त खसरा नंवरान् में प्रार्थीया खातेदार द्वारा काश्त की जा रही हैं।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व व्यक्त किया की सीमाचिन्हों के अभाव में पड़ौसी काश्तकार प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं की ओर से हड़पना चाह रहे हैं। प्रार्थीया को अपने खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का नियमानुसार अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थीया नियमानुसार बनने वाली राजकीय राशि जमा करवाने को तैयार हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर मेरी भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर मनन किया व पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2080 खाता संख्या 21 पुराना 24 ग्राम गण्डोलीखुर्द की झौपड़िया (नवीन) तहसील रायथल जिला बून्दी राजस्थान की आराजी खसरा संख्या 185 रकबा 0.7500 है0 किस्म बारानी द्वितीय में प्रार्थीया खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार, रायथल द्वारा कर दिया गया हैं व आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त हैं। फर्द सीमाज्ञान संलग्न पत्रावली हैं। प्रार्थीया को प्रावधानों के अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार प्राप्त हैं। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं तहसीलदार, रायथल को 1000/–रू0 फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार मौका कमिश्नर फीस एवं अन्य निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त आराजी खसरा संख्या 185 रकबा 0.7500 है0 ग्राम गेण्डोली खुर्द की झौपड़िया तहसील रायथल जिला बून्दी की पत्थरगढ़ी पड़ौसी काश्तकारों को सूचित करते हुए अन्य न्यायालय का स्थगन व मौके पर फसल न होने की स्थिति में नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी